प्रकरण संख्या 91/2019 RCMS ID-2019/00035 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1 राजाराम
2 रामरूप
3 रामराज
4 विश्राम } पिसरान सागरिया

5 रामरति
6 तसवीर
7 कपूर
8 प्रेम
9 मलोदा
10 लच्छो } पुत्रियां सागरिया

11 हरभेजी पत्नि सागरिया
12 मूला पुत्र भगवन्त(फौत)
12/1 रामनिवास
12/2 गुमानसिंह
12/3 अजमत सिंह } पिसरान मूला
12/4 भौती पत्नि मूला

13 अजब
14 ज्ञानसिंह
15 रत्तीराम } पिसरान गिर्राज

सभी जाति गुजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

16 शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मासलपुर

17 दीवान पुत्र गिर्राज जाति गुजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–07.10.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 113/2, 114/2 व 115/2 रकबा क्रमशः 04 विस्वा, 05 विस्वा व 08 विस्वा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 113, 114 व 115 रकबा क्रमशः 12 विस्वा, 14 विस्वा व 1–05 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2030–2033 तक के खाता सं 434 किस्म तालाबी–1 श्री सागरिया, गिर्राज, मूला पि. श्री भगवन्त निवासी नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में जरिये विरासत राजाराम, रामरूप, रामराज, विश्राम पिसरान सागरिया रामरति, तसवीर, कपूर, प्रेम, मलोदा, लच्छो पुत्रियां सागरिया, हरभेजी पत्नि सागरिया, मूला पुत्र भगवन्त, अजब, ज्ञानसिंह, रत्तीराम, दीवान पिसरान गिर्राज सभी जाति गुजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मासलपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

जिला कलक्टर
करौली

यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 113/2, 114/2 व 115/2 रकबा क्रमशः 04 विस्वा, 05 विस्वा व 08 विस्वा बाके ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) को वापस राजकीय भूमि तालाबी अव्वल दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2030--33, 2068–71, नामांतरकरण संख्या 25 दिनांक 18.02.1971, नामांतरकरण संख्या 491 दिनांक 08.06.1986, नामांतरकरण संख्या 83 दिनांक 28.01.2008, नामांतरकरण संख्या 96 दिनांक 24.01.2013, नामांतरकरण संख्या दिनांक 28.01.2008, हाल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीयान सं 1 ता 11, 13 ता 15 व 17 की ओर से अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 113/2, 114/2 व 115/2 रकबा क्रमशः 04 विस्वा, 05 विस्वा व 08 विस्वा किस्म तालाबी बाके ग्राम नवलापुरा में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं और मौके पर काबिज हैं। उक्त आराजी कभी भी तालाब के रूप में काम में नहीं आई है ना ही कोई पानी भरता है नाह ही कोई सार्वजनिक उपयोग उपभोग में आती है। मौके पर तालाब की कोइ स्थिति नामा नहीं है। उक्त जमीन हमको सरकार द्वारा दी गई है और हम पचासों साल से काश्त करते चले आ रहे हैं। इससे पूर्व हमारे पिता भाई काश्त करते थे। अब खातेदारी में हमस ब के नाम दर्ज हो गये हैं। हम गैरसायलान दोनों फसल इसमें काश्त करते हैं और हम काबिज हैं। हमारी जमीन का गलत तरीके से रेफरेंस बनाया गया है जो खाजिर किये जाने योग्य है। अंत में रेफरेंस प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 12 के फौत होने पर अप्रार्थी सं. 12 का नाम हजफ किया जाता है। अप्रार्थी सं. 12 के कायम मुकाम की सूचना प्राप्त कर उनको नोटिस जारी किये गये जो बावजूद सूचना असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं होने एवं ना ही जवाब पेश करने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 16 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि बैंक में रहन है। ऋण राशि की वसूली करने एवं तत्संबंधी कानूनी कार्यवाही करने बाबत् बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही फरमाये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 113/2, 114/2 व 115/2 रकबा क्रमशः 04 विस्वा, 05 विस्वा व 08 विस्वा तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 25 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 113/2, 114/2 व 115/2 रकबा क्रमशः 04 विस्वा, 05 विस्वा व 08 विस्वा किस्म तालाबी–1 श्री सागरिया, गिर्राज, मूला पि. श्री भगवन्त निवासी नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) के नाम दिनांक 18.02.1971 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 113/2, 114/2 व 115/2 रकबा क्रमशः 04 विस्वा, 05 विस्वा व 08 विस्वा किस्म तालाबी–1 राजाराम, रामरूप, रामराज, विश्राम पिसरान सागरिया रामरति, तसवीर, कपूर, प्रेम, मलोदा, लच्छो पुत्रियां सागरिया, हरभेजी पत्नि सागरिया, मूला पुत्र भगवन्त, अजब, ज्ञानसिंह, रत्तीराम, दीवान पिसरान गिर्राज सभी जाति गुजर निवासी नवलापुरा

जिला कलक्टर
करौली

तहसील मासलपुर जिला करौली राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मासलपुर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में तालाबी अव्वल दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) की आराजी खसरा नंबर 113/2, 114/2 व 115/2 रकबा क्रमशः 04 विस्वा, 05 विस्वा व 08 विस्वा को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

7/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली